26/12/18

परिवादी स्वयं सहित आर0सी0 चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण पंजीयन पर तर्क हेतु नियत है।

पंजीयन पर तर्क श्रवण किये गये।

परिवादी द्वारा अनावेदक चरण सिंह दांगी, राघवेंद्र दांगी और बुंदेल सिंह दांगी के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 326, 323, 294, 506 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिये जाने हेतु परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी सुरेंद्र सिंह दांगी के द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि दिनांक 29.09.16 को शाम के लगभग 6:30 बजे ग्राम लालपुर स्थित उसके खेत खिरिया टपरिया वाले रास्ते पर जहां उसकी फसल रखी हुई थी वहां पर अनावेदकगण बुंदेल सिंह दांगी, चरण सिंह दांगी और राघवेंद्र सिंह दांगी अपनी मोटरसाइकिल से हाथ में लाठी लिये हुए आये और चरण सिंह दांगी ने उसकी बांई आंख के बगल में लाठी मार दी जिससे उसके खून निकल आया, वह नीचे गिर गया तो बुंदेल सिंह दांगी और राघवेंद्र सिंह दांगी ने उसकी पीठ और पैर में लाठी मार दी थी। साक्षी ने बताया है कि उसने थाना रन्नौद में तीनों ही अनावेदकगण के विरूद्ध रिपोर्ट कराई थी, परंतु अनावेदक राघवेंद्र के पिता हेमपाल दांगी भाजपा के नेता होने के कारण उसकी रिपोर्ट केवल चरण सिंह दांगी के विरूद्ध लेख की गई और राघवेंद्र सिंह और बुंदेल सिंह के विरूद्ध लेख नहीं की गई थी। उसकी बांई आंख की जांच भी पहले न कराकर बाद में कराई गई तथा उसकी आंख का खर्चा भी वहन नहीं किया गया, इसलिए वह दिल्ली नहीं गया।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी गोविंदा प0सा0–2 ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 29.09.16 को शाम के

Scanned with CamScanner

6–6:30 बजे अनावेदक चरण सिंह दांगी ने लाठी से सुरेंद्र सिंह दांगी के बांई आंख के पास मार दिया था और अनावेदक राघवेंद्र सिंह तथा बुंदेल सिंह ने सुरेंद्र सिंह की लात–घूसों से मारपीट की थी जिससे उसकी पीठ और पेट में चोट आई थी।

परिवादी की ओर से जो अभिलेख पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें केवल अनावेदक चंदन पुत्र पहलवान दांगी के विरूद्ध अपराध क्रमांक–220/16 दर्ज किया गया है जिसमें दोनों ही चोटें मात्र आरोपी चरण सिंह दांगी के द्वारा कारित करने का उल्लेख है। परिवादी के द्वारा जो परिवाद पत्र पेश किया गया है उसमें परिवादी ने उसके बांई आंख के पास चरण सिंह दांगी द्वारा चोट कारित करना बताया है और पीठ की चोट बुंदेल सिंह और राघवेंद्र सिंह दांगी द्वारा लाठी से कारित करना बताया है जबकि परिवादी द्वारा जो दिनांक 04.10.16 को पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को जन सुनवाई में आवेदन दिया गया है उसमें मात्र आरोपी चरण सिंह के द्वारा ही उसकी बांई तरफ कनपटी और पीठ में लाठी मारने का उल्लेख है। परिवादी के अनुसार अनावेदक राघवेंद्र और बुंदेल सिंह ने उसके पीठ में और पेट में लाठी से चोट कारित की थी जबकि परिवादी की ओर से पेश चश्मदीद साक्षी गोविंदा प0सा0–2 ने अपने कथन में सुरेंद्र सिंह की मारपीट बुंदेल और राघवेंद्र द्वारा लात–घूसों से करना बताया है। सुरेंद्र सिंह दांगी के पीठ में जो चोट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आई है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक को परिवादी द्वारा दिये गये लेखीय आवेदन दिनांक 04.10.16 के अनुसार चरण सिंह दांगी ने पहुंचाई है अन्य कोई चोटें सुरेंद्र सिंह दांगी ने स्वयं को आना नहीं बताया है तथा ऐसी कोई अन्य चोट भी मेडिकल रिपोर्ट या अन्य प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेजों के अनुसार परिवादी को नहीं आई हैं। न्यायालय के द्वारा जो परिवाद पत्र की जांच कराई गई उसमें भी पुलिस द्वारा जांच उपरांत राघवेंद्र दांगी और बुंदेल सिंह का घटना में संलिप्त होना नहीं पाया गया है स्वयं आवेदक सुरेंद्र सिंह दांगी द्वारा मेडिकल चेकअप कराने के लिए भी जानबूझकर उपस्थित नहीं होना लेख किया गया है ऐसी स्थिति में अनावेदकगण राघवेंद्र दांगी और बुंदेल सिंह दांगी की घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित नहीं है। जहां तक चरण सिंह दांगी का संबंध है तो उसके संबंध में न्यायालय के समक्ष प्रकरण आरसीटी क0–142/17 विचारण हेतु लंबित है अतः एक ही अपराध के संबंध में पुनः चरण सिंह दांगी के विरूद्ध अपराध का संज्ञान नहीं

Scanned with CamScanner

er of
eeding

लिया जा सकता है। अन्य अनावेदकगण राघवेंद्र सिंह दांगी और बुंदेल सिंह दांगी की मौके पर उपस्थिति प्रमाणित नहीं हुई है अतः अनावेदकगण के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर मौजूद न होने से अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद पत्र दंड प्रकिया संहिता की धारा 203 के तहत निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो।

26/12/18

श्रीमती मोनिका आध्या
जेएमएफसी कोलारस

Scanned with CamScanner